

SIMI पर प्रतर्बिंध बढ़ा

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

एक न्यायकि अधकिरण ने सट्टुडेंट्स इस्लामकि मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगाए गए प्रतर्बिंध को पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

- इसमें कहा गया है कि संगठन ने इस्लाम के लिये 'जेहाद' के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और यह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हेतु कार्य करना जारी रखेगा।
- उक्त अधकिरण का गठन वधिविरुद्ध करिया-कलाप (नविरण) अधनियम (UAPA), 1967 के तहत किया गया था।
 - UAPA का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली गैरकानूनी गतविधियों को रोकना तथा उनका मुकाबला करना है।
- UAPA के प्रावधानों के तहत SIMI को "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने की सफिराशि 10 राज्य सरकारों ने की है।
- SIMI को पहली बार वर्ष 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था और तब से प्रतर्बिंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- SIMI की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ मुसलमि विश्वविद्यालय में जमात-ए-इस्लामी-हदि (JEIH) से जुड़े एक युवा समूह के रूप में की गई थी, जो वर्ष 1993 में स्वतंत्र हो गया।

और पढ़ें: गैर-कानूनी गतविधियाँ रोकथाम अधनियम का आकलन